[2018] 10 एससीआर 622

हरिभाऊ बनाम महाराष्ट्र राज्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्य 1118) 04 सितंबर, 2018

[अभय मनोहर सप्रे और उदय उमेश ललित,जेजे]

1- आईपीसी की धारा 353, 504 और 294 सपठित 34 के तहत नीचे की अदालतों द्वारा दोषसिद्धि - 3 महीने की सजा और 800 रुपये का जुर्माना लगाया गया - अपील पर, सजा को कम करने के लिए अभियुक्त की याचिका धारित किया था तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि एक महीने का कारावास पहले ही काट लिया गया था , यह घटना अचानक हुई। यदि अभियुक्त का कोई आपराधिक अतीत नहीं था तथा घटना काफी पुरानी थी और किसी अन्य आपराधिक मामले में अभियुक्त बाधित नहीं था , तो सजा को पहले से ही बिताई गई अवधि तक कम कर दिया जाता है - इसके बजाय जुर्माना राशि 800 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दी जाती है - दंड संहिता, 1860 - धारा 353/34, 504/34 और 294/34। आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा: 1. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता उसे दिए गए तीन महीने में से एक महीने की जेल की सजा पहले ही काट चुका है ; तथ्य यह है कि विचाराधीन घटना काफी पुरानी है और इस समय हुई प्रतीत होती है, अपीलकर्ता का अपने पिछले जीवन में कोई आपराधिक पूर्ववर्ती नहीं है और विचाराधीन मामले को छोड़कर किसी अन्य आपराधिक मामले में वह बाधित नहीं है , जिसे अपीलकर्ता ने निष्पक्ष रूप से अस्वीकार नहीं किया और अपनी दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी , अपीलकर्ता को दी गई जेल की सजा को तीन महीने से एक महीने की अवधि तक बदलना उचित माना जाता है जो उसके द्वारा पहले ही काट लिया गया था और इसके बजाय विभिन्न धाराओं के तहत दी गई कुल जुर्माना राशि को 800 रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया गया है। 000/-. [पैरा 14] [625-सी-ई] 2. एक महीने के भीतर जुर्माना राशि जमा करने में विफल रहने पर 622 हरिभाऊ बनाम महाराष्ट्र राज्य के तहत न्यायालयों द्वारा दी गई जेल की सजा को पुनर्जीवित किया जाएगा और अपीलकर्ता को तब नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दी गई शेष जेल की सजा से गुजरना होगा। [पैरा 17] [625-जी-एच] आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की आपराधिक अपील संख्या 1118। 2006 की आपराधिक अपील संख्या 258 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के दिनांक 20.04.2018 के निर्णय और आदेश से, नागपुर बेंच, नागपुर। शकुल आर. घाटोले, सुधांशु एस. चौधरी, अपीलकर्ता के वकील निशांत आर. कटनेश्वरकर, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता। न्यायालय का निर्णय अभय मनोहर सप्रे, जे. 1 द्वारा दिया गया था। छुट्टी मंजूर कर ली गई। अनुमति दी गई.।

2. यह अपील बाम्बे उच्च न्यायालय 20.04.2018 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसे बॉम्बे में उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ द्वारा 2006 के आपराधिक अपील संख्या 258 में पारित किया गया था , जिसमें उच्च न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों के संबंध में अपील की अनुमति देते हुए - बाबाराव श्रीराम चौधरी अपीलकर्ता के संबंध में अपील को खारिज कर दिया और 3 "तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 10.04.2006 के आदेश द्वारा

उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। न्यायाधीश, वाशिम ने 2005 के अत्याचार मामले संख्या 28 में अपीलकर्ता और बाबाराव को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 353, 294 और 504 सपठित धारा 34 (इसके बाद "आईपीसी" के रूप में संदर्भित) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था और उन्हें धारा 353/34 आईपीसी के तहत 500 रुपये के जुर्माने के साथ तीन महीने के कठोर कारावास और धारा 353/34 के तहत एक महीने के कठोर कारावास और धारा 504 के तहत 200 रुपये के जुर्माने के साथ एक महीने के कठोर कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 294/34 के तहत 100/- रुपये के जुर्माने के साथ एक महीने के कठोर कारावास की सजा दी गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया था।

3. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि बाला साहेब इंगोले (पीडब्ल्यू -1) जनूना, तहसील करंजा जिला वाशिम (एमएच) में जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में सेवारत थे। दिनांक 05-04-2005 को अपीलकर्ता (हरिभाऊ) और बाबाराव, जो क्रमश सरपंच और ग्राम पंचायत के सदस्य थे, जनूना ने स्कूल का दौरा किया और बाला साहेब से पूछा कि वह स्कूल में देर से क्यों आए। बाला साहेब ने अपना स्पष्टीकरण दिया। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 10 एस.सी.आर.

4. बाला साहेब द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अपीलकर्ता और बाबाराव को संतुष्ट नहीं करता था , इसलिए, उन्होंने बाला साहेब से स्कूल द्वारा बनाए गए सर्कल-प्रभारी दारा अनुरक्षित बुक के लिए कहा। चूंकि बाला साहेब ने बुक/रजिस्टर नहीं दिया, इसलिए अपीलकर्ता (हरिभाऊ) ने उनकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए उन्हें लात-घूंसे मारे। उन्होंने बाला साहेब को उनके जीवन को खतरे में डालकर चोट पहुंचाने की धमकी भी दी।

5. इसी घटना के कारण एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद अपीलकर्ता (हरिभाऊ) और बाबाराव पर आईपीसी की धारा 353, 504 और 294 के साथ धारा 34 के तहत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (एक्स) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। 1989 (इसके बाद "एससी /एसटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित)।

6. आदेश दिनांक 10.04.2006 द्वारा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वाशिम ने अपीलकर्ता और बाबाराव को आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 353, 504 और 294 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और ऊपर उल्लिखित सजा सुनाई। हालाँकि , अपीलकर्ता और बाबाराव को एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया गया था।

7. अपीलकर्ता और बाबाराव ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश से व्यथित महसूस किया और बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ के समक्ष अपील दायर की। आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने बाबाराव के संबंध में अपील की अनुमति दी और उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

8. जहां तक अपीलकर्ता (हरिभाऊ) का सवाल है, उसकी अपील खारिज कर दी गई थी। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा गया था, जिससे इस न्यायालय में हरिभाऊ द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को दायर किया गया था।

9. पक्षकारों के लिए विद्वान वकील को सुना।

10. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति अनिवार्य रूप से एक थी। उनके अनुसार , अपीलकर्ता को दी गई कुल जेल की सजा में से, वह पहले ही एक महीने की वास्तविक जेल की सजा काट चुका है और तब से वह जमानत पर है।

11. यह उनका निवेदन था कि अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति , उसकी उम्र (60 वर्ष), बिना किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के उसके बेदाग करियर और अंत में, तथ्य यह है कि वह हरिभाऊ बनाम महाराष्ट्र राज्य [अभय मनोहर सप्रे, जे। 13 साल पहले किए गए अपराध के संबंध में पहले ही एक महीने की जेल की सजा काट चुके हैं , इसलिए यह अदालत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता को दी गई सजा में बदलाव करना और उसे उस अवधि तक कम करना उचित समझ सकती है। वह पहले ही जेल की सज़ा काट चुका है और इसके बदले न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस पर और अधिक जुर्माना लगाया जाए।

12. जवाब में, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने आक्षेपित आदेश को बरकरार रखने का आग्रह किया।

13. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील की प्रस्तुति में बल पाते हैं।

14. हमारी सुविचारित राय में, सबसे पहले, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता उसे दी गई तीन महीनों में से एक महीने की जेल की सजा पहले ही काट चुका है , दूसरा, यह तथ्य कि विचाराधीन घटना काफी पुरानी है और इस समय हुई प्रतीत होती है, तीसरा, अपीलकर्ता का अपने पिछले जीवन में कोई आपराधिक रिकार्ड पूर्ववर्ती नहीं है और अंत में , किसी अन्य आपराधिक मामले में वह बांछित नहीं है, सिवाय उस मामले के जिसमें अपीलकर्ता ने निष्पक्ष रूप से इनकार नहीं किया था और अपनी दोषसिद्धि को सही तरीके से चुनौती नहीं दी थी , अपीलकर्ता को दी गई जेल की सजा को तीन महीने से एक महीने की अवधि तक बदलना उचित माना जाता है जो उसके द्वारा पहले ही काट लिया गया था और इसके बजाय विभिन्न धाराओं के तहत दी गई कुल जुर्माना राशि को बढ़ाया जाए। रु.800/- से रु.15,000/- तक।

15. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और तदनुसार भाग में अनुमति दी जाती है। नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा अपीलकर्ता को दी गई जेल की सजा को बदल दिया जाता है और तदनुसार एक महीने की अवधि की सीमा तक कम कर दिया जाता है जो उसके द्वारा पहले ही बिताई जा चुकी है।

16. दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता को अब पहले से ही बिताई गई सजा से अधिक जेल की सजा काटने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही साथ शिकायतकर्ता - बाला साहेब इंगोले को भुगतान

करने के लिए नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दिए गए कुल जुर्माने की राशि को 800 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।

17. एक महीने के भीतर जुर्माना राशि जमा करने में विफल रहने पर नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दी गई जेल की सजा को पुनर्जीवित किया जाएगा और अपीलकर्ता को नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दी गई शेष जेल की सजा से गुजरना होगा। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट 18. जुर्माने की राशि इस शिकायतकर्ता की तारीख से एक महीने के भीतर जमा की जाए।

(Brijesh Kumar Yadav)
J.O. Code-U.P. 1605
Addtional District Judge, Fast Track Court-I,
Bareilly.

Digitally signed by Brijesh Kumar Yadav
Date: 2023.10.28 14:05:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court